भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3652

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया पहल से लाभ

3652. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्टअप इंडिया के आरंभ से लेकर अब तक वित्तीय सहायता, विनियामक राहत और कर छूटों के संदर्भ में बेंगलुरु जिले में इससे कितने स्टार्टअप्स लाभान्वित हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा रोजगार सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) सरकार द्वारा महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और बेंगलुरु जिले में स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान वित्त वर्ष में स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए निधि आवंटित की गई है और पिछले 12 महीनों के दौरान इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विशेषकर स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी, कृषि-प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप सहायता को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल या नीतिगत परिवर्तन विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत की।

सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। बेंगलुरु जिले (ग्रामीण और शहरी) में, डीपीआईआईटी ने ऐसी 13,649 कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिन्होंने 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार 1,63,345 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की सूचना दी है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमें नामत: स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) कार्यान्वित कर रही है ताकि इससे स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विशेषतः बेंगलुरु जिले (ग्रामीण और शहरी) के लिए,

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, चयनित इन्क्यूबेटर्स ने 281 स्टार्टअप्स को कुल 63.99 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया है।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है और इसका प्रचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है, जो सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है। ये जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, विशेष रूप से बेंगलूरु जिले के लिए चयनित एआईएफ ने 346 स्टार्टअप्स में 6,470.8 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, डीपीआईआईटी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को बंधक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु क्रियान्वित किया गया है। सीजीएसएस, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित होता है और इसे प्रायोगिक आधार पर 1 अप्रैल, 2023 से संचालित किया गया है। विशेष रूप से बेंगलुरु जिले (शहरी) के लिए, 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, मान्यताप्राप्त पात्र स्टार्टअप्स के 49.24 करोड़ रुपए की राशि के कुल 24 ऋणों को गारंटी प्रदान की है।

वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से, सरकार ने विनियामक वातावरण को सरल बनाने और अनुकूल व्यवसाय वातावरण सृजित करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने तथा अनुपालन बोझ को कम करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-Iएसी और धारा 56(2) (viiख) के तहत कर में छूट प्रदान करना भी शामिल हैं। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, बेंगलुरु जिले (ग्रामीण और शहरी) के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-Iएसी के तहत कुल 348 स्टार्टअप्स को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए गए और धारा 56(2)(viiख) के तहत 1,601 स्टार्टअप्स को छूट प्रदान की गई है।

(ख) : स्टार्टअप इंडिया कोई स्कीम नहीं, बल्कि एक पहल है। सरकार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विशिष्ट पहलों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है ताकि इससे बेंगलुरु सहित देशभर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसी पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख स्कीमें नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक खरीद हेतु सक्षम बनाने संबंधी पहलें, स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर), संसाधनों तक आसान पहुंच और

स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहयोग को सक्षम बनाते हैं। इन उपायों को विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है।

इस पहल के तहत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम समावेशी है और ये सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाते हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयासों से विविध क्षेत्रों में, 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या बढ़कर 1,52,139 हो गई है। इनमें से 34,800 से अधिक कंपनियों को पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2023 में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। विशेष रूप से उभरते हुए क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, कृषि-प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी के लिए, डीपीआईआईटी ने 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, 13,000 से अधिक कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3652 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बेंगलुरु सहित देशभर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में इक्विटी और ऋण, दोनों के अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष स्कीम में निधि का 10% महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है।
2. महिलाओं के नेतृत्व वाली वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1% प्रतिवर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ उन एआईएफ को भी दिया जाता है, जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स पर केंद्रित हैं।
3. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के तहत, गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए, सदस्य संस्था को संवितरित/बकाया राशि पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करना होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ महिला उद्यमियों वाली इकाइयों के लिए, सदस्य संस्था, संवितरित/बकाया राशि पर प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत मानक दर का भुगतान करती है।
4. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए एक विशिष्ट क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो आकांक्षी और स्थापित दोनों प्रकार की महिला उद्यमियों को, उनकी स्टार्टअप यात्रा के दौरान चिह्नित करने और सहायता प्रदान करने के लिए है। प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। ये कार्यशालाएं, उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाओं ने चुनौतियों का समाधान पाने के लिए सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने तथा भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है।
5. महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इन्क्यूबेशन कार्यक्रम, प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन सहायता के साथ महिला नेतृत्व वाले प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था।
6. स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में महिला उद्यमियों के लिए केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।
7. एसेंड स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और महिलाओं के लिए स्टार्टअप्स कार्यशालाएं: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, उभरते उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एसेंड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, ये कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, उभरते हुए उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे ईकोसिस्टम हितधारकों की भागीदारी देखी गई है।
8. सुपर स्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री

वीडियो पॉडकास्ट सीरिज शुरू की गई है। ये पॉडकास्ट महिलाओं में नवप्रयोग से संबंधित जागरूकता बढ़ाते हैं और देश में महिला उद्यमिता को और सुदृढ़ करते हैं।

9. अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और सरकार द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा, सरकार मौजूदा स्कीमों के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करती है। ये कार्यक्रम महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता पहुंचाते हैं।

10. महिलाओं के लिए स्टार्टअप्स: आकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए महिला उद्यमियों हेतु सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता, मॉक पिचिंग और वित्त-संबंधी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

11. राष्ट्रपति के साथ महिला उद्यमियों की वार्ता: 18 जनवरी 2024 को, "द प्रेसिडेंट विद द पीपल" पहल के अंतर्गत, भारत के माननीया राष्ट्रपति के साथ 25 महिला उद्यमियों को वार्ता करने का अवसर मिला। इस वार्ता में नवप्रयोग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और भारत के बढ़ते स्टार्टअप्स ईकोसिस्टम में योगदान देने में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। माननीया राष्ट्रपति ने आइडिया को उद्यम में बदलने के उनके प्रयासों की सराहना की और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में उनकी सफलता के महत्व पर जोर दिया।

12. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम की सहायता करने वाली उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वयन तथा विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। विशेष कार्रवाई बिंदु पर सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उसमें भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

13. देश में नवप्रयोग, समावेशिता और विविधता तथा उद्यमशीलता की व्यापकता, गुणवत्ता और विस्तार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) की शुरुआत की है। एनएसए, 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए विशेष श्रेणी और पुरस्कार को शामिल किया गया है।

*****